राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1466/2012/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, पाली। ....अपीलार्थी

बनाम

मै. जे.के.पेपर लि.,
फोर्ट सोनगढ, जिला–सूरत (गुजरात)
मय श्री विष्णु कुमार भार्गव, मैनेजर फर्म मैसर्स अमृत एन्टरप्राईजेज, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री एस.के.जैन
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 01/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 393/आरवीएटी/एनआरडी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, सिरोही द्वारा दिनांक 02.11.2006 को वाहन संख्या आरजे/19/2जी/0573 को चन्द्रावती गॉव के पास रोककर चैक किया गया। कर निर्धारण अधिकारी के मांगने पर वाहन चालक द्वारा माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिनमें बिल–बिल्टी एवं प्ररूप ग घोषणा प्ररूप पर प्रवेश जांच चौकी मावल की मोहर अंकित नहीं होने तथा अधिसूचित वस्तु की श्रेणी में होने के कारण परिवहनित माल के साथ एसटी 18ए संलग्न नहीं होने के कारण, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया, जिससे असंतुष्ट होते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् अपने कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.11.2006 द्वारा शास्ति आरोपित की गई। प्रस्तुत द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 17.05.2007 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.09.2009 द्वारा अपील कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दी गई। जिसकी पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः अपने शास्ति आदेश दिनांक 19.01.2011 द्वारा शास्ति रूपये 1,99,509/– आरोपित की। कर निर्धारण अधिकारी के

लगातार.....2

उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 06.01.2012 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कहा कि लिपिकीय भूल के कारण एसटी 18ए संलग्न करना रह गया था एवं उसके स्थान पर प्ररूप ग की द्वितीय प्रति माल के साथ संलग्न की दी गई, जो मानवीय भूल है। सशक्त अधिकारी द्वारा दिये गये कारण बताओ नोटिस के जवाब के साथ प्रत्यर्थी द्वारा एसटी 18ए प्रस्तुत कर दिया था। उन्होंने आगे अपने कथन में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति को अविधिक एंव अनुचित बताते हुए अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवहन के समय माल के साथ एसटी 18ए भूल से छूट गया था। जिसके संबंध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त एसटी 18ए नोटिस के जवाब के साथ पेश कर दिया गया था। साथ ही माल के साथ अन्य सभी दस्तावेज संलग्न थे, जिससे कही भी प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन की मनोदशा प्रतीत नहीं होती है। प्रस्तुत प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित State of Rajasthan and anothers v/s DP Metals (2001) 124 STC 611 पूर्णतया लागू होता है। अपीलीय अधिकारी ने विस्तृत विवेचन कर आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 06.01.2012 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष